वर्ष 2019–20 हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के लिये आवश्यक सूचना

- सभी संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य तथा उनके अधीनस्थ छात्रवृत्ति का कार्य देखने वाले कर्मचारी/अधिकारी द्वारा तत्काल सक्षम प्राधिकारी/एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर लें। (यदि पूर्व में नहीं प्राप्त किया है) प्रत्येक संस्थान को अपना मास्टर डाटा दिनांक 01 जून 2019 से 20 जुलाई, 2019 तक (कक्षा 9–10 के लिये 01 जून 2019 से 15 जुलाई, 2019 तक) समस्त सूचनाओं (संस्थान का समस्त विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम का वर्षवार पूर्णांक (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर जोडकर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस) को अपडेट करते हुये नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जाना अनिवार्य होगा।
- मास्टर डाटा को अपडेट करने, उनमें पूर्व में प्रदर्शित सूचनाओं में संशोधन करने, पाठ्यक्रम को हटाने या जोड़ने तथा शुल्क के विवरण को अद्यतन करने एवं उससे सम्बन्धित शासनादेशों/आदेशों को अपलोड करने हेतु 01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी समयावधि में 15 जुलाई 2019 तक मान्यता प्राप्त संस्थान भी अपने को पंजीकृत करते हुए समस्त सूचनाओं को भरते हुए सम्बन्धित आदेशों को अपलोड करेंगे।
- नवीन शिक्षण संस्थान जिनको 15 जुलाई 2019 तक मान्यता प्राप्त हो चुकी होगी, वे पोर्टल पर आनलाइन आवेदन समस्त सूचनाओं सहित भरेगें एवं उसे सबमिट करेगें तथा समस्त अभिलेखों की हार्डकापी जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा करेगें। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित कर आनलाइन अग्रसारित करने के उपरान्त आनलाइन आवेदन पत्र/हार्डकापी एवं समस्त अभिलेखों के सही पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लागिन एवं पासवर्ड संस्था को दिया जायेगा जिससे नवीन संस्था उपरोक्तानुसार अपना मास्टर डाटा पूर्ण/अपडेट करेगी। इस कार्य को प्रत्येक दशा में 20 जुलाई 2019 तक पूर्ण करना होगा।
- डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश लिया गया हो।
- मैनेजमेंट कोटा/स्पाट एडमिशन/डायरेक्ट एडमिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित छात्र, छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होगें। कोई भी संस्थान ऐसे छात्रों का डाटा छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित नहीं करेगें।
- वर्ष 2019–20 से सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर (बैंक खाते में अंकन के साथ) तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ–साथ विश्वविद्यालय नामांकन संख्या एवं बोर्ड पंजीयन कमांक (जैसा लागू हो) भरना होगा। सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्रों का आधार नम्बर अनिवार्य रूप से बनवाना सुनिश्चित करेगें।
- संस्था अपने यहां अध्ययनरत समस्त छात्रों को भली–भांति यह अवगत करा दें कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित **(Regular)**/स्ववित्त पोषित **(SELF FINANCE)** का चयन आवेदन पत्र भरते समय सावधानीपूर्वक करें। सभी निजी संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार केवल स्ववित्त पोषित **(SELF FINANCE)** ही होगा। गलत पाठ्यक्रम या संस्था द्वारा लाक न किया गया पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित **(Regular)**/स्ववित्त पोषित **(SELF FINANCE)** गलत चयन करने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। संस्था छात्र का डाटा फारवर्ड करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि छात्र द्वारा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित)